भाग ।।।

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 राजगढ़ के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु **कुण्डालिया बहु ग्रामीण जल प्रदाय योजना** अंतर्गत, पीने के पानी की **05 टंकी के निर्माण हेतु** परिक्षेत्र राजगढ़, वनखण्ड भोजपुर के **वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 65, पी.एफ. 67, पी.एफ. 68, पी.एफ. 71 एवं पी.एफ. 78 की** कुल 0.540 हेक्टयेर वनभूमि, महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, राजगढ़ को उपयोग पर देने के लिए, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि :..... .12.2019

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रविन्द्र सक्सेना)

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

16-12-19

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक / मा.चि. / 4769 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– राजगढ़ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु कुण्डालिया बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना अंतर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.540 हेक्टर वनभूमि, जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू. राजगढ़ को उपयोग पर देने बावत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/41775/2019)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / माचि / 2171 दिनांक 03 / 12 / 2019

----0----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल राजगढ़ अंतर्गत ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु **कुण्डालिया बहु ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत**, पीने के पानी की **05 टंकी के निर्माण हेतु** परिक्षेत्र राजगढ़, वनखण्ड भोजपुर के **वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 65, पी.एफ. 67, पी.एफ. 68, पी.एफ. 71 एवं पी.एफ. 78 की कुल 0.540 हेक्टयेर वनभूमि, महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, राजगढ़ को उपयोग पर देने** के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु दिनांक **3 / 12 / 19 को ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत कर,** उक्त प्रस्ताव हार्ड प्रति दिनांक 12 / 12 / 19 को अपने स्पष्ट अभिमत / अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 1.000 हेक्टेयर से कम होने तथा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रस्तावित नहीं की गई हैं।

म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–5–11 / 2006 / 10–3 दिनांक 31 / 05 / 2014 द्वारा चिन्हित प्रकरणों में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु 1.000 हेक्टेयर से कम वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार दिनांक 31 / 12 / 2018 तक संबंधित वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय को प्रदत्त किये गये थे। उपरोक्तानुसार वनमंडलाधिकारी, को प्रदत्त अधिकार की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में आपके पत्र क्रमांक / एफ–5 / 2019 / 10–11 / 1415 दि. 8 / 5 / 2019 के अनुसार उक्त अधिकार राज्य शासन को हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो** प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–यथावर्णित।

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक / मा.चि. / 4770 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

प्रतिलिपिः–

वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल राजगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित पी.आई.यू. राजगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2019.doc

16-12-19